न्यायालय उपजिलाधिकारी राठ (हमीरपुर)

वाद सं0 06 सन् 2012 ई0 धारा 143 जे0जे0ए0एक्ट

जगतराज महाविद्यालय राठ द्वारा प्रबंधक मदनपाल सिंह बनाम सरकार आदि

मौजा राठ पूरब परगना व तहसील राठ जिला हमीरपुर

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी जगतराज महाविद्यालय राठ द्वारा प्रबंधक मदनपाल सिंह पुत्र जगतराज मुखिया शिक्षा संस्थान निवासी मुहल्ला सिकन्दरपुरा राठ की ओर से सरकार आदि को प्रतिवादीगण निम्न करते हुये योजित किया गया। जिसमें मौजा राठ-पूरब की खतौनी सन् 1418 फ0 लगायत 1421 फ0 के खाता सं0 374 पर अंकित गाटा सं0 1757/2 रकबा 1.090 है0 मा0गु0 17.65 रूपये में अपने सम्पूर्ण अंश पर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

वाद पत्र के समर्थन में मौजा राठ पूरब की खतौनी सन् 1418 फ0 लगायत 1421फ0 के खाता सं0 374 एवं खसरा सन् 1418 फ0 मौजा राठ पूरब एवं शपथ पत्र व सोसायटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र सं0 244/2011-12 दिनांकित 08.06.11 की छायाप्रति दाखिल की।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार राठ से स्थलीय निरीक्षण कराकर आख्या तलब की गई। तहसीलदार राठ की आख्या दिनांक 21.04.12, जे0ए0 नियमावली के नियम सं0 135 के अन्तर्गत आख्या एवं नजरी नक्शा सहित प्राप्त हुई।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार राठ की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि में विद्यालय निर्माणाधीन है तथा मौके पर ईंट बालू डालकर महाविद्यालय का निर्माण शुरू किया जा रहा है। तहसीलदार राठ ने धारा 143 जे0ए0 एक्ट के तहत वाद भूमि अकृषक घोषित किये जाने हेतु आख्या दिनांकित 21.04.12 संस्तुति सहित प्रस्तुत की है।

अतः तहसीलदार राठ की सानियम प्रस्तुत आख्या दिनांकित 21.04.12 की पुष्टि की जाती है। जो आदेश का अंग होगा। मौजा राठ पूरब की खतौनी सन् 1418 फ0 लगायत

प्रबन्धक
जगतराज महाविद्यालय
राठ (हमीरपुर) उ0प्र0

1421 फ0 के खाता सं0 374 में जगतराज महाविद्यालय राठ द्वारा प्रबंधक मदनपाल सिंह पुत्र जगतराज मुखिया शिक्षा संस्थान निवासी मुहल्ला सिकन्दरपुरा राठ के नाम अंकित गाटा सं0 1757/2 रकबा 1.090 है0 मा0गु0 17.95 रूपये को गैर कृषि प्रयोजन हेतु (आबादी) घोषित किया जाता है तथा मा0गु0 से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो, आदेश की प्रति तहसीलदार राठ एवं उपनिबंधक राठ को भेजी जावे। आव0का0 के बाद पत्रावली दा0द0 हो।

दिनांक 08.06.12

(रामयश गौतम)
उपजिलाधिकारी, राठ
हमीरपुर।

आज यह आदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा खुले न्यायालय में सतिथि हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 08.06.12

(रामयश गौतम)
उपजिलाधिकारी, राठ
हमीरपुर।

प्रबन्धक
जगतराज महाविद्यालय
राठ (हमीरपुर)

प्राचार्य
जगतराज महाविद्यालय
राठ (हमीरपुर)